मानानीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश

प्रकरण कं /रिवीजन R 3220-I/14

1. सरवन सिंह पुत्र स्व. श्री शंकर सिंह, आयु 90 वर्प, व्यवसाय खेती, निवासी कैलारस जिला मुरैना
2. बाबू सिंह पुत्र स्व. श्री पीतांबर सिंह, आयु 89 वर्प, व्यवसाय खेती, निवासी कैलारस जिला मुरैना
3. राजेंद्र सिंह पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण सिंह, आयु 55 वर्प, व्यवसाय खेती, निवासी कैलारस जिला मुरैना
4. विशंभर सिंह पुत्र श्री धीरज सिंह, आयु 60 वर्प, व्यवसाय खेती, निवासी कैलारस जिला मुरैना
5. एकनाथ सिंह पुत्र स्व. श्री जबर सिंह, आयु 65 वर्प, व्यवसाय खेती, निवासी कैलारस जिला मुरैना

...आवेदकगण

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना
2. कार्यपालन यंत्री म. प्र. पॉ ट्रा. क. लि. मुरैना मध्यप्रदेश ?
3. अधीक्षण यंत्री, अति उच्च दाब निर्माण, म.प्र.ट्रा.क.लि. ग्वालियर

....अनावेदकगण

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

शाखा प्रभारी (रा.मं.)

पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2200–एक / 14

जिला मुरैना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 13–08–2014 | प्रकरण में ग्राह्यता के प्रश्न पर आवेदक अधिवक्ता को सुना । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 7–7–2014 को आवेदक अपील / पुनरीक्षणकर्ता प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष अपना प्रकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया । इसके तारतम्य में यह निगरानी आवेदक ने कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है । कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश संहिता की धारा 237 के अन्तर्गत पारित किया गया है जिसके विरूद्ध सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अवसर आवेदक को उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक के अनुरोध पर उसको सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की अवधि उपलब्ध रहेगी ।<br><br>प्रशासकीय सदस्य | |